HIRD

पंचायती राज समाचार

अक्तूबर 2012

PANCHAYATI RAJ NEWSLETTER

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार)
- प्रारम्भिक शिक्षा मध्यान्ह भोजन योजना
- ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀਪੁਰ
- ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी
Haryana Institute of Rural Development, Nilokheri
prharyana007@gmail.com

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार)

पिछले 20 वर्षों में भारत की अपनी आर्थिक एव विनियामक संरचना में एक परिवर्तन आया है। इस अवधि में नीतिगत सुधारों ने हमारे बाजार की बढ़ती परिपक्वता के साथ ही स्वस्थ विनियम का भी नेतृत्व किया है। इसमें डी-लाइसेंसिंग, उद्यमशीलता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, राज्य के शासन एवं स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण, आदि विशेष रूप से प्रमुख हैं। जिन्होंने भारत को एक प्रतिबंधात्मक एवं सीमित समाज से उठकर एक अधिक सशक्त खुली पहुंच वाली अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। जहां जनसाधारण संसाधनों और सेवाओं का और अधिक आसानी और प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद वित्त पोषण का उपयोग ग्रामीण भारत में एवं देश के अतिनिर्धन वर्ग में दुलर्भ है। आज, ग्रामीण भारत में बैंक खातों का उपयोग 40 प्रतिशत तक ही सीमित है और यह भारत के पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी हिस्सों में तीन/पांच से भी अधिक है, यह अंतर समाज को कमजोर करता है। आखिरकार आर्थिक अवसर वित्तीय उपयोग के साथ गुंथे हुए होते हैं। इस तरह के वित्तीय उपयोग विशेष रूप से निर्धनों के लिए मूल्यवान होते हैं और उन लोगों के लिए राहत का काम करते हैं जिनकी आय कम एवं परिवर्तनशील होती है। यह उन लोगों को बचत करने एवं अचानक आयी आर्थिक तंगी से बचने एवं निवेश करने का अवसर प्रदान करती है। इस तरह की बचत एवं बीमा निर्धनों को संभावित घटनाओं-बीमारी, रोजगार की हानि, सूखा एवं फसलों को हुए नुकसान आदि से बचाते हैं। हालांकि, वित्तीय सेवाओं के उपयोग की कमी के कारण बहुत से निर्धन भारतीयों को बचत करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) जोकि व्यक्तियों को उनके जनसांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक की जानकारी के आधार पर अलग-अलग पहचानता है, व्यक्ति को देशभर मे सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों को स्पष्ट पहचान स्थापित करने में सहायता करता है। परिणामस्वरूप बैंक को अपने शाखा रहित बैंकिंग की तैनाती को बढ़ाने एवं कम लागत पर व्यापक जनसंख्या तक पहुंचने में सहायता मिलती है। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक कुशल, किफायती भुगतान समाधान की सख्त आवश्यकता है। आधार के साथ प्रमाणीकरण तंत्र को मौलिक प्रौद्योगिक अनुप्रयोग से जोड़कर वांछित सूक्ष्म भुगतान का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह कम लागत पर वित्तीय सेवाओं को प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के पास प्राप्त करने की सुविधा देता है।

आधार क्या है?

आधार 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सभी निवासियों के लिए जारी करेगा। संख्या को केन्द्रीकृत डाटाबेस में संग्रहित किया जायेगा एवं प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जनसांख्यिकीय एवं बायोमैट्रिक सूचना-फोटोग्राफ, दसों अंगुलियों के निशान एवं आंख की पुतली की छवि के साथ लिंक किया जायेगा। एक व्यक्ति जो कि एक भारतीय हैं एवं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता है, एक आधार प्राप्त कर सकता है।

आधार क्यों?

आधार आधारित पहचान की दो अद्वितीय विशेषताएं होंगी:

सावैभौमिकता: यह सुनिश्चित है कि आधार को समय के साथ देश भर में सेवा प्रदाताओं द्वारा मान्य एवं स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक निवासी आधार संख्या हेतु पात्रता रखता है। संख्या के फलस्वरूप सार्वभौमिक पहचान अवसंरचना निर्मित होगी जिस पर देशभर में पंजीयक एवं एजेंसी उनकी पहचान आधारित अनुप्रयोगों का निर्माण कर सकते हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार संख्या हेतु निवासियों को नामांकित करने के लिए देशभर के विभिन्न पंजीयकों के साथ साझेदारी करेगा, ऐसे पंजीयक रा%य सरकारों, रा%य-सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, बैंक, टेलीकॉम कंपनियों इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। ये पंजीयक आगे निवासियों को आधार में नामांकित करने हेतु नामांकन एजेंसियों के साथ भागीदारी कर सकते हैं।

आधार सरकारी एवं निजी एजेंसियों एवं निवासियों के मध्य विश्वास में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। एक बार निवासियों का आधार के लिए नामांकन होते ही सेवा प्रदाता को सेवा प्रदान करने से पहले के.वाई.आर. संबंधी दस्तावेज की जांच जैसी समस्या का सामना नहीं करना होगा। वे अब निवासियों को बिना पहचान दस्तावेजों के सेवाएं देने से इन्कार नहीं कर सकते हैं। निवासियों को भी बार-बार दस्तावेजों के माध्यम से पहचान उपलब्ध कराने की परेशानी नहीं होगी। जब भी वे कई सेवाओं जैसे बैंक में खाता खुलवाने, पासपोर्ट या ड्राईविंग लाईसेंस बनाने की आवश्यकता महसूस करेंगे, आधार संख्या पर्याप्त होगी।

पहचान के स्पष्ट सबूत प्रदान कर, आधार, निर्धनों एवं दलितों को सेवाओं जैसे औपचारिक बैंकिंग तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की कई अन्य सेवाओं का आसानी से उपयोग करने हेतु अवसर प्रदान कर सशक्त बनाता है। भा.वि.प.प्रा. का केन्द्रीयकृत प्रौद्योगिकी अवसंरचना कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह प्रमाणीकरण को सक्षम करेगी। इस तरह आधार प्रवासियों को भी पहचान की गतिशीलता प्रदान करेगा। आधार प्रमाणीकरण सजीव आनलाईन अथवा आफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। निवासियों को दूर से अपनी पहचान सत्यापित करने हेतु सेलफोन/लैण्ड लाईन कनेक्शन सजीव प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान करेगा। सजीव आधार से जुड़ा पहचान सत्यापन ग्रामीणों एवं निर्धनों को वैसा ही लचीलापन उपलब्ध करायेगा जिस तरह से शहरी धनी वर्तमान में अपनी पहचान सत्यापित करते हैं तथा सेवाओं जैसे कि बैंकिग एवं अन्य का उपयोग करते हैं। आधार, नामांकन पूर्व उचित सत्यापन की भी मांग करता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित है। भारत में, मौजूदा पहचान डाटाबेस नकली, धोखाधड़ी, डुप्लीकेट एवं हितग्राहहियों की समस्या से भरा पड़ा है। आधार डाटाबेस में इन समस्याओं को रोकने के लिए भा.वि.प.प्रा. ने निवासियों को जनसांख्यिकीय एवं बायोमैट्रिक जानकारियों से उचित सत्यापन के साथ अपने डाटाबेस में नामांकित करने की योजना बनाई है। जो यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रहित आंकड़े कार्यक्रम के प्रारंभ से ही सही हैं। हांलांकि अधिकतर दलित एवं निर्धन लोगों के पास पहचान संबंधी दस्तावेजों का अभाव रहता है और आधार उनको अपनी पहचान साबित करने का पहला रूप हो सकता है। भा.वि.प.प्रा. यह सुनिश्चित करेगा कि उसका अपने निवासी को जाने के.वाई.आर. का मानक निर्धनों के नामांकन में बाधा न बने इसके लिए परिचयदाता प्रणाली मानकों के अनुसार विकसित की गई है जिनके पास दस्तावेजों का अभाव है। इस प्रणाली के द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिसके पास पहले से ही आधार है, उन निवासियों का, जिनके पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, परिचय दे सकता है ताकि वे अपना आधार प्राप्त कर सकें।

आधार कैसे प्राप्त करें

आधार प्राप्त करने की विधि-स्थानीय मीडिया द्वारा उपर्युक्त समय पर प्रचारित किया जायेगा, जिसके आधार पर निवासी निकट के नामांकन शिविर पर जाकर आधार हेतु पंजीयन करा सकते हैं। निवासियों को प्राथमिक तौर पर कुछ दस्तावेजों, जो कि

मीडिया के विज्ञापनों में निर्देशित किया जायेगा को साथ लाना होगा।

आधार हेतु पंजीकरण कराने के साथ ही निवासियों को दसों अंगुलियों के निशान एवं आंख की पुतली की छवि हेतु बायोमैट्रिक स्कैनिंग से गुजरना होगा। इसके बाद उनका फोटो लिया जायेगा एवं कार्य सम्पन्न होने के बाद एक नामांकन संख्या प्रदान किया जायेगा। नामांकन एजेंसी अनुसार निवासी को 20 से 30 दिनों के भीतर आधार संख्या जारी की जायेगी।

आधार के लाभ

आधार यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है कि सेवाएं, विशेषरूप से गरीबों को कारगर ढंग से दी जा रही हैं ताकि निवासी सेवा प्रदाताओं को अपनी स्पष्ट रूप से पहचान दे सकें। भारत में निर्धन निवासियों को दो प्रकार की मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब सेवा आपूर्ति होती है:

- सेवा का नकारना चूंकि उनमें कई लोगों के पास पहचान/पते का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, भारत में कई दीन-हीन व्यक्तियों के पास अपनी पहचान संबंधी दस्तावेजों का अभाव होता है और वे कौन हैं, यह स्थापित करने की उन्हें आवश्यकता होती है और अत: वे बीपीएल और अन्य निर्धन समर्थित कार्यक्रमों से वंचित रहते हैं। महिलाएं और अपेक्षित समूहों के सदस्य जैसे जनजाति के लोग ऐसे दस्तावेजों के अभाव के कारण नुकसान उठाते हैं।
- कल्याणकारी लाभ (जैसे मनरेगा मजदूरी) संवितरण करने में समस्याएं, सरकारों को यह पुष्टि करने में दिक्कत महसूस होना कि क्या लाभ उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचतें है अथवा नहीं।

आधार गरीबों को बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता के अपनी पहचान स्पष्ट रूप से सत्यापित करने देता है। यह व्यक्तियों को उनकी आधार संख्या प्रदान करने और फिंगर प्रिंट जैसी सूचना सत्यापित करके उन्हें एकबार प्राप्त हुए लाभों की पुष्टि करने में भी सहायता देता है।

ग्रामीण विकास स्कीमें जहां आधार लाभकारी सिद्ध होगा

महात्मा गांधी रोजगार गांरटी अधिनियम (मनरेगा), स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.), प्रधानमन्त्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इत्यादि।

मनरेगा में भूमिका

- आधार समर्थक भुगतान मंच बैंकिंग प्रणाली के जरिए मजदूरी का दक्षतापूर्ण भुगतान करने में मददगार हो सकेगा।
- आधार बायोमेट्रिक डी-डुप्लिकेशन जॉब कार्ड मांगने हेतु पहचान और पते का प्रमाण विशिष्ट वास्तविक लाभार्थियों को प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।
- आधार प्रमाणीकरण कार्य स्थल पर कामगार की उपस्थिति की गारन्टी देगा।
- आधार निवासियों को विकल्प देने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहायता कर सकता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं में भूमिका

- आधार पहचान और पते का प्रमाण प्रदान करता हैं
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर, नर्सों की सही समय पर पुष्टि करने में ऑन-लाईन प्रमाणीकरण में मदद कर सकेगा।
- यह उपयुक्त लाभार्थियों को दवाइयों की सुपुर्दगी करने और लिंकेज कम करने की गारन्टी दे सकता है।
- यह मरीजों को आनॅ-लाईन स्वास्थ्य संबंधी देख-रेख के रिकार्ड में सुधार ला सकता है।
- स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों के साथ लाभार्थियों का सम्पर्क बना सकता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भूमिका

- आधार बायोमेट्रिक डी-डुप्लिकेशन से वास्तविक लाभार्थी ही अनुमत: होंगे।
- आधार पहचान और पता प्रमाण प्रदान करेगा।
- आधार प्रमाणीकरण मात्र किसी दुकान तक ही सीमित नहीं है यह निवासियों को लाभों के विकल्प और इ%छानुसार उपलब्धि की व्यवस्था करेगा।
- निवासी प्रमाणीकरण राशन की और खाद्यान्न के संचलन का पता लगाने की लक्षित और गारन्टीशुदा सुपुर्दगी भी सुनिश्चित कर सकता है।

सर्व शिक्षा अभियान में भूमिका

- आनॅ-लाईन प्रमाणीकरण कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी की उपस्थिति के वास्तविक समय की पुष्टि करने में मदद कर सकता है।
- यह विद्यार्थियों का पता लगाने और उनके कार्य निष्पादन की स्थिति बताने में मदद कर सकता है।
- यह आई.सी.डी.एस., मध्याहन भोजन, बाईसाइकिल कार्यक्रम और बालिका कार्यक्रमों जैसे छात्र-लाभ कार्यक्रमों को एकीकृत कर सकता है।
- यह विशिष्ट वास्तविक लाभार्थी प्रति विद्यालय सुनिश्चित करेगा।
- आधार समर्थित बैंक खाता लाभार्थी के बैंक खाते से सीधे ही छात्रवृति जैसे लाभ प्राप्त कर सकता है।

आधार जारी करने में शामिल संस्थाएं और संगठन

कार्यान्वयन मॉडल

- आधार पंजीयकों के साथ साझेदारी में निर्मित होगा।
- पंजीयक नामांकन एजेंसियों के माध्यम से/सीधे नागरिकों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र करेगा।
- यूआईडीएआई द्वारा निवासियों को आधार आंकड़ों की दोहरी पहचान को दूर करने के बाद जारी किया जायेगा।

कार्यान्वयन संबंधी कार्य-नीति

नामांकन प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर समर्थन अपेक्षित होता है:

- राज्य स्तर-पंजीयक और नोडल विभाग
- जिला स्तर
- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं
- शहरी स्थानीय निकाय नगर निकायें

जिला परिषद, पंचायत समिति/ग्राम पंचायत और शहरी निकायें

- प्रशासनिक समर्थन और मानिटरिंग नामांकन
- परिचयकर्ताओं और प्रमाणकर्ताओं को प्रशिक्षण
- स्वीप योजना और सफल कार्यान्वयन
- आई ई सी कार्यान्वयन
- नामांकन केन्द्र स्थापित करने और नामांकन हेतु नामांकन एजेंसी के साथ कार्य करना
- टीम के प्रोत्साहन स्तर की पहल-शक्ति और उसकी पुष्टि करना

नामांकन प्रक्रिया में पंचायत राज संस्थाएं और शहरी स्तर के निकाय कैसे सहायता कर सकते हैं

- परिचयकर्ताओं की पहचान और उनका नामांकन
- नामांकन केन्द्रों को स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थानिक स्थालों और भवनों की खोजने में मदद करना।
- प्रत्येक क्षेत्र हेतु नामांकन अनुसूची तैयार करने में मदद
- महत्वपूर्ण दस्तावेजों के प्रयोग को समझना
- आधार और इसके लाभों से ग्रामवासियों को अवगत करवाना।
- नामांकन योजना के बारे में ग्रामवासियों को अवगत करवाना।
- नामांकन योजना के बारे में ग्रामवासियों को अवगत करवाना।
- नामांकन हेतु अपेक्षाओं से ग्रामवासियों को सूचित करना।
- बायोमेट्रिक सूचना कैप्चर करने के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी देना।

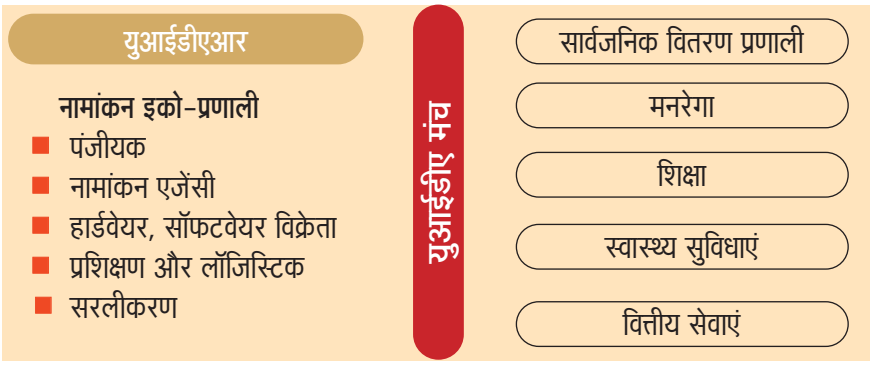

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों हेतु प्रकाशित पुस्तिका से जनहित में जारी

प्रारम्भिक शिक्षा मध्यान्ह भोजन योजना

■ डा. सूरत सिंह

थमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणकारी समर्थन कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई)एक क्रेन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और इसे मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील स्कीम) के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है।

यह कार्यक्रम इस धारणा पर आधारित है कि स्कूल में भोजन का कार्यक्रम पंजीकरण और हाजिरी पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा, बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, जो स्कूल में पढ़ाई संबंधी गतिविधियों पर ध्यान क्रेद्रित करने और इनमें भागीदारी ज़े लिए आवश्यक है।

इस कार्यक्रम के उदेश्य प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना एवं गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए बढ़ावा देना और कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना भी है। इस कार्यक्रम का मकसद सूखा - पीड़ित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पोषण समर्थन प्रदान करना भी है।

कार्यक्रम का इतिहास

भारत में मध्यान्ह भोजन का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1925 में मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। गुजरात, केरल और तामिलनाडु जैसे राज्यों ने स्वयं अपने संसाधनों से प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए पका-पकाया मिड डे मील कार्यक्रम चलाया था। मध्य प्रदेश और ओड़ीशा (पहले उड़ीसा) जैसे राज्यों ने अपने-अपने आदिवासी क्षेत्रों में इसका विस्तार किया था। 1991 तक 12 राज्य - गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश इस तरह का कार्यक्रम स्वयं अपने संसाधनों से चला रहे थे। इस उद्देश्य ज़े लिए कर्नाटक, ओड़ीशा और पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वयं अपने दोनों तरह के संसाधन का उपयोग कर रहे थे। राजस्थान और आंध्र प्रदेश सिर्फ अंतराष्ट्रीय एवं स्वयं दोनों तरह के संसाधन का उपयोग कर रहे थे। राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश सिर्फ अंतराष्ट्रीय सहायता से यह चला सके ।

वर्तमान में चलाया जा रहा प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणकारी समर्थन कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) 15 अगस्त, 1995 में प्रारम्भिक तौर पर 2408 खंडों (ब्लॉक्स) में शुरू किया गया था। 1997-98 से इसका विस्तार करते हुए इसे पूरे देश

में शुरू कर दिया गया। इसके प्रारम्भिक रूप में सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को शामिल किया गया था। लेकिन 2002 से इस योजना के तहत लाभ का विस्तार उन केंद्रो में पढ़ने वाले छात्रों तक कर दिया गया, जो शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक एवं नवोन्मेषी शिक्षा (एआईई) योजना के तहत स्थापित किए गए थे।

इस कार्यक्रम के तहत सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ रहे छात्रों ज़े अलावा, 2002 से इसमें शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) के तहत संचालित केन्द्रो में पढ़ रहे बच्चों को शामिल किया गया। बदलती आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें 2006 में संशोधन किया गया।

योजना का प्रमुख विशेषताएं

- इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए बच्चों को 450 कैलोरी प्रदान करने वाले पर्याप्त पोषक तत्वों, प्रोटीन (12 कैलोरी) और आयरन फोलिक एसिड, विटामिन-ए जैसे लघु पोषक तत्वों के साथ तैयार मिड डे मील प्रदान किया जाता है।
- यह एक समवर्ती कार्यक्रम है और क्रेंद्र एवं राज्य सरकार इसमें योगदान करती है। केंद्रीय सहायता में प्रति बच्चा, प्रतिदिन 100 ग्राम की दर से खाद्यान की नि:शुल्क आपूर्ति और एक न्यूनतक सीमा (75 रू प्रति क्विंटल और विशेष श्रेणी के राज्य में 100 रू प्रति क्विंटल) के साथ खाद्यान के परिवहन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- खाना पकाने की लागत और आवश्यक ढांचागत सुविधाएं इस कार्यक्रम के दो अन्य प्रमुख घटक (इनपुट्स) हैं। खाना पकाने की लागत में न सिर्फ ईंधन और वेतन (खाना पकाने के लिए रखे गए कर्मचारी का पारिश्रमिक या इस उद्देश्य के लिए ठेके पर रखी गई एजेंसी को किया जाने वाला भुगतान), ब्लकि भोजन पकान में उपयोग होने वाली दालो, सब्जियों, खाद्य तेल और मसालों जैसी वस्तुओं की लागत भी शामिल होती है। राज्यों द्वारा यह लागत वहन की जाती थी, पर बहुसंख्यक राज्यों ने संतोषजनक ढंग से इसे प्रदान नहीं किया। इसलिए, 1.50 रू.,स्कूल के प्रति कार्यदिवस की दर से केंद्रीय सहायता प्रदान की गई, बशर्ते राज्य सरकार 50 पैसे का योगदान करे, यह भी केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है।
- खाना पकाने के कार्य में कुछ ढांचागत सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, जिसमें रसोईघर/पाकशाला (किचन) एवं स्टोर, पकाने के लिए

पानी,पेयजल,सफाई, पकाने के उपकरण (स्टोव, चूल्हा आदि), खाद्यान एवं अन्य चीजें रखने के लिए बक्से (कंटेनर) और पकाने एवं परोसने के लिए बर्तन भी शामिल हैं।

- रसोईघर/पाकशाला (किचन) एवं स्टोर के निर्माण के लिए अधिकतम प्रति इकाई 60,000 रू. चरणबद्ध विधि से केंद्रीय सहायता दी जाती है। लेकिन, साथ ही राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अन्य विकास योजनाओं के अभिसारण प्रयासों द्वारा रसोईघर/पाकशाला (किचन) एवं स्टोर का निर्माण करवाएं। इसी प्रकार, खाना पकाने के उपकरणों (स्टोव, चूल्हा आदि), खाद्यानों एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए कंटेनरों और खाना पकाने और परोसने के लिए बर्तनों की व्यवस्था करने और बदलने के लिए 5,000 रू. प्रति इकाई की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- रसोईघर/पाकशाला एवं स्टोर के निर्माण के लिए अन्य योजनाओं, जैसे-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एसजीआरवाई, शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं (बीएसयूओ) और शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम (यूडब्लयूईपी) के साथ ही अभिसरण (कन्वर्जेंस)के माध्यम से ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखा जाना आवश्यक है। एक्सीलेरेटेड ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्लयूएसपी), स्वजलधारा एवं सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जल आपूर्ति पूरी की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2,000 रू. के वार्षिक स्कूल अनुदान से किचन के उपकरण खरीदे जा सकते हैं। इसी प्रकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ज़े राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ज़े तरहत लघु पोषक पूरक आहार एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य पहल संबंधी कार्य किए जा सकते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा घोषित सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के तहत कवर किए गए बच्चे गर्मी की छुट्टियों में भी मिड डे मील पाने ज़े हकदार हैं।
- प्रबंधन, देखरेख एवं आकलन (एमएमई) के तहत खाद्यानों, पकाने और परिवहन की लागत के लिए कुल सहायता की 1.8 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय सहायता भी स्वीकृतयोग्य होती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रबंधन, देखरेख और आकलन के उद्देश्य से 0.2 प्रतिशत राशि आबंटित की जाती है।

एनपी-एनएसपीई, 2006 राष्ट्रीय, राज्य, जिला/ब्लॉक एवं स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए प्रबंधन ढांचों की स्थापना सुनिश्चित करता है।

केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी

2004 से स्थापित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जुटी एजेंसियों के मार्गदर्शन, निगरानी, सामुदायिक समर्थन जुटाने, तालमेल बिठाने और समन्वयन के लिए राष्ट्र स्तरीय संचालन

एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसे नीतिगत मामलों में केन्द्र सरकार को सलाह देने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्य एजेन्सी, यानी कार्यक्रम मंजूरी बोर्ड में पोषण विशेषज्ञ और अन्य संबंधित मन्त्रालयों तथा एजेन्सियों के प्रतिनिधि होते हैं। वह राज्य सरकार द्वारा पेश की गई वार्षिक कार्य योजना एवं बजट पर विचार करने और मंजूरी देने का काम करती है।

सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय मिशन भी मध्यान्ह भोजन की समीक्षा करता है। इस कार्यक्रम की देखरेख के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर संचालन एवं निगरानी समितियों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य उसके कार्यान्वयन के लिए अपने एक विभाग को नोडल विभाग के रूप में मनोनित करेगा।

राज्य सरकार की जिम्मेदारी

राज्य सरकार ने इस योजना पर व्यय के नियम निर्धारित किए हैं, जिनज़े आधार पर वह कार्यक्रमों के क्रियान्वयन ज़े लिए फंड्स का आबंटन करती है ताकि पोषक ढंग से पकाए गए भोजन की अबाधित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके । जाहिर है कि इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता में देरी के चलते खाद्यानों की आपूर्ति में अनियमितता, स्थानीय कार्यान्वयन एजेन्सी की नाकामी और रसोइये की कमी जैसी समस्याओं का समाधान करना है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एमएचआरडी एमडीएमपीएबी द्वारा राज्य नोडल एवं एफसीआई के लिए मंजूर खाद्यानों के आबंटन, पकाने की लागतों, रसोईघर/पाकशाला और स्टोर के निर्माण, कुकिंग एवं किचन उपकरणों की सूचना देता है। राज्य नोडल विभाग सभी जिला नोडल एजेंसियों को अगले वित्त वर्ष के लिए जिलावार आबंटन की सूचना देता है।

प्रत्येक राज्य सरकार जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एक नोडल अधिकारी को मनोनित करती है और इसका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समग्र जिम्मेदारी इस अधिकारी/एजेंसी को सौंपी गई है।

जिला नोडल एजेंसी सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक स्कूल को इस योजना के तहत खाद्यानों के मासिक आबंटन और विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय मंजूरी के बारे में सूचित किया जाए। भोजन सूची को विकसित करने की जिम्मेदारी।

ग्राम पंचायत की भूमिका

स्थानीय स्तर पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन और दैनिक देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत/वीएलबी या ग्राम पंचायत/यूएलबी द्वारा गठित इस स्थायी समिति को सौंपी गई है जिसे शिक्षा से संबंधित कार्य की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। इस योजना के सहत क्रियान्वयन ज़े लिए निगरानी, समीक्षा और आवश्यक कदम उठाने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वीई सी/एसएमडीसी/पीटीए/ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा खाना पकाने या पका-पकाया मिड डे मील की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उसके वितरण डिपो के जरिए स्कूलों में समुचित औसत गुणवत्ता के पर्याप्त खाद्यान की लगातार उपलब्धता बनी रहे। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में शिकातयों की स्थिति में आगे सत्यापन एवं विश्लेषण के लिए भारतीय खाद्य निगम इस योजना के तहत जारी होने वाले ऐसे खाद्यानों का नमूना रखता है।

स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्यक्रम के कुछ कार्यों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे- 1. पके-पकाये मिड डे मील की आपूर्ति करना, 2. संसाधन के विस्तार के लिए समर्थन देना (प्रशिक्षण देना, क्षमता निर्माण, निगरानी, आकलन एवं शोध आदि)।

लेखक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀਪੁਰ

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕ।

ਬੀਬੀਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ।

ਸੰਵਾਦ ਬਿਊਰੋ

ਜਦ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਗਲਾਨ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5800 ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 870 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਗਲਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਟੈਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੋ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ ਸੁਨੀਲ ਜਗਲਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ., ਬੀ.ਐੱਡ, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਡ ਆਦਿ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਨੀਲ ਜਗਲਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਜਵਾਰ, ਚੌਲ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਬੱਡੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ●

ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ

ਸੰਵਾਦ ਬਿਊਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਝਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੀਬੀਪੁਰ 'ਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਛਿੜੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਖ਼ਾਪ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਦਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਦਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਇਕ ਖ਼ਾਪ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੰਦਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ 'ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ' ਦੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੰਦਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੰਦਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਪ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢਾਣੀ ਮੀਆਂ ਖ਼ਾਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੇਝਿਜਕ ਮਰਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢਾਣੀ ਮੀਆਂ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਭਡੂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਬੀਬੀਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾਣੀ ਮੀਆਂ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਦਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 'ਤਾਲੀਬਾਨੀ' ਜਾਂ 'ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡੀ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ। ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਨਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ●

खेती हमारी सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी योजना है। अगर हमारे नीति शास्त्री ऐसा सोचते हैं कि हम देश से बोझ कम किया जाए तो उन्हें यह सोचना और बताना होगा कि दूसरा कौन सा क्षेत्र है जहां आप इतने लोगों को रोज़गार देंगे।

कला तथा मुद्रण व्यवस्था : संवाद सोसाइटी (सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी)
डा. सूरत सिंह द्वारा प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए Aravali Printers & Publishers (P.) Ltd. W-30, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 से मुद्रित
पंचायतीराज न्यूजलैटर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेडी (जिला करनाल) के लिए संस्थान निदेशक
डिजाइन : सुरेखा मिड्ढा, डिजिटल सपोर्ट: विकास डांगी